रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1983/ माघ 27, 1904

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1983/MAGHA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1983

सा० का० नि० 87(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1983 है ।

(2) यह 1 जनवरी 1983 को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) पैरा 6 में—

(i) दूसरे परन्तुक में "पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) विद्यमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण : इस पैरा के अधीन 60 वर्ष की आयु जन्म की तारीख के प्रति निर्देश से अवधारित की जाएगी; तथापि जहां सदस्य द्वारा जन्म की तारीखें नहीं दी जाती है वहां आयु निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी :

(1) जहां जन्म का वर्ष दिया जाता है किन्तु ठीक-ठीक तारीख नहीं दी जाती है वहां 1 जुलाई, जन्म की तारीख मानी जाएगी;

(2) जहां जन्म का वर्ष और मास दिया जाता है वहां मास की 16वीं तारीख जन्म की तारीख मानी जाएगी; और

(3) जहां केवल आयु बताई जाती है वहां यह समझा जाएगा कि सदस्य ने प्ररूप 2 के साथ लगे चिकित्सा प्रमाणपत्र की तारीख को, और जहां प्ररूप के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र नहीं लगाया जाता है वहां प्ररूप 2 को भरने की तारीख को वह आयु प्राप्त कर ली है" ।

3. स्कीम के पैरा 28 में—

(i) उप पैरा (1) में—

(क) "25 वर्ष या उससे कम आयु में" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् :—

सारणी

सदस्य का प्रतिमास वेतन जिसपर कुटुम्ब पेंशन निधि में अभिदाय संदेय है।	कुटुम्ब पेंशन की मासिक दर
1. 400 रु० से कम	60 रु० न्यूनतम और 120 रु० अधिकतम के अधीन रहते हुए वेतन का 30%;
2. 400 रु० और उससे अधिक	120 रु० न्यूनतम और 320 रु० अधिकतम के अधीन रहते हुए वेतन का 20%",

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण (3)--मात्रानुपाती दर या दैनिक मजदूरी वाले किसी कर्मचारी की दशा में जो कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य था उसके द्वारा उस अवधि के दौरान जिसके लिए कुटुम्ब पेंशन निधि में अभिदाय वसूल किया गया था, अंतिम बार लिए गए पूरे वेतन की दर, उस मास से जिसमें उसकी मृत्यु हुई, पूर्ववर्ती बारह मास में उसके औसत उपार्जनों को हिसाब में लेते हुए अवधारित की जाएगी।"

(ii) उपपैरा (2) में,--

(क) खंड (क) में "अंतिम बार लिए गए पूरे वेतन का 50 प्रतिशत" शब्दों और अंक के स्थान पर "उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यथा अवधारित वेतन का 5 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह कि कुटुम्ब पेंशन, किसी भी दशा में 60 रु० प्रतिमास से कम नहीं होगा;

(iii) उपपैरा (3) का लोप किया जाएगा;

4. स्कीम के पैरा 30 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"30 कुटुम्ब पेंशन के संदाय का प्रारंभ

कुटुम्ब पेंशन उस दिन से, जिसको कुटुम्ब पेंशन निधि के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक अगले दिन से संदेय हो जायेगी।"

5. स्कीम के पैरा 31 में, प्रारंभिक पैरा में,

(i) "इस स्कीम के पैरा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए," शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ii) परन्तुकों का लोप किया जाएगा।

6. स्कीम के पैरा 32 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात् :--

"32. सेवा निवृत्ति एवं रुपए निकलने की प्रसुविधा :

60 वर्ष की आयु का होने पर या मृत्यु से भिन्न कारणों से 60 वर्ष की आयु का होने से पूर्व कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता समाप्त होने की दशा में, कुटुम्ब पेंशन निधि के सदस्य को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसने कुटुम्ब पेंशन निधि में एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अभिदाय किया है, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर निम्नलिखित प्रसुविधा प्रोद्भूत होगी :--

सारणी

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनके लिए अभिदाय किया गया है	60 वर्ष की आयु का होने पर संदेय रकम या उससे पूर्व निकाली गई रकम
1	2
1	110
2	150
3	195
4	245
5	300
6	355
7	415
8	480
9	550
10	625
11	710
12	795
13	890
14	990
15	1095
16	1215
17	1340
18	1475
19	1615
20	1775
21	1940
22	2120
23	2310
24	2520
25	2740
26	2980
27	3240
28	3515
29	3815
30	4135
31	4480
32	4850
33	5245
34	5675
35	6135
36	6630
37	7160
38	7730
39	8345
40	9000

स्पष्टीकरण 1 : पूर्ण वर्षों की, जिनके लिए अभिदाय किया गया है, संख्या अवधारित करने के लिए विभिन्न दौरों पर गणनीय सेवा की अवधि भी, यदि कोई हो, स्कीम के पैरा 6 के अधीन सम्मिलित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2 : कुल अवधि निकालते समय वर्ष छह मास के कम किसी भाग को छोड़ दिया जाएगा और छह मास या उससे अधिक को पूर्ण वर्ष के रूप में गणना की जाएगी।

(2) गणनीय सेवा का एक वर्ष पूरा होने से पूर्व कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता समाप्त हो जाने की दशा में, कुटुम्ब पेंशन निधि के सदस्य के कुटुम्ब पेंशन निधि में जमा किए गए अभिदाय का, उस पर 7-1/2 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्रतिदाय किया जाएगा।

(3) जहां कुटुम्ब पेंशन निधि के किसी सदस्य को, जिसे यथास्थिति, उपपैरा (1) या (2) के अधीन कोई रकम संदेय हो गई है, उसे वह रकम वास्तव में संवत्त किए जाने से पूर्व, मृत्यु हो जाती है, वहां वह रकम, उसके कुटुम्ब के उन सदस्य को संदेय होगी जो पैरा 29 के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता और जहां सदस्य अपने पीछे कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ गया है वहां वह रकम उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों को जो उसकी भविष्य निधि में संचय प्राप्त करने के हकदार है, उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचय, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापनों को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबन्धों के अधीन संदेय है।"

7. स्कीम के पैरा 33, 34 और 34क का लोप किया जाएगा।

8. स्कीम के पैरा 34ख में, "क्रमशः पैरा 32 और 33 के अधीन संदेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधा और रुपए निकालने की प्रसुविधा" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उन मामलों के सिवाए जहां 60 वर्ष की आयु का होने पर सदस्यता समाप्त हो जाने के मामलों में या जहां गणनीय सेवा के दो दौरों के बीच व्यवधान एक वर्ष से अधिक हो, वहां पैरा 32 के अधीन सेवा निवृत्ति प्रसुविधा और रुपए निकालने की प्रसुविधा", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

9. इस स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची का लोप किया जाएगा।

टिप्पण : (1) मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3(i) तारीख 4 मार्च, 1971 को पृष्ठ 251 पर प्रकाशित की गई।

(ii) स्कीम के पैरा 6 के नीचे के परन्तुक सा० का० नि० 186 (अ) तारीख 31-3-1973 द्वारा जोड़े गए थे।

(iii) स्कीम के पैरा 9 के उपपैरा (3) के नीचे का परन्तुक सा० का० नि० 298 तारीख 24 मार्च 1973 द्वारा जोड़ा गया।

(iv) स्कीम के पैरा 28 का संशोधन, सा० का० नि० 1188 तारीख 30-9-72, सा० का० नि० 298 तारीख 24 मार्च, 1973 सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31 मार्च, 1973, सा० का० नि० 129 तारीख 31-1-1981 और सा० का० नि० 360 (अ) तारीख 28-4-1982, द्वारा किया गया था।

(v) स्कीम के पैरा 31 का संशोधन, सा० का० नि० 1156 तारीख 7-8-1971, सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-1973 सा० का० नि० 129 तारीख 31-11-1981 और सा० का० नि० 360 (अ) तारीख 28-4-1982 द्वारा किया गया था।

(vi) स्कीम के पैरा 32 का संशोधन सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73 और सा० का० नि० 360(अ) तारीख 28-4-1982 द्वारा किया गया था।

(vii) स्कीम के पैरा 33 का संशोधन सा० का० नि० 1299 तारीख 7-10-72, सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73 सा० का० नि० 201 तारीख 7-1-78 और सा० का० नि० 360(अ) तारीख 28-4-82 द्वारा किया गया था।

(viii) स्कीम के पैरा 34 का संशोधन सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73, सा० का० नि० 201 तारीख 7-1-78 सा० का० नि० 129 तारीख 31-1-81 और सा० का० नि० 360(अ) तारीख 28-4-82 द्वारा किया गया था।

(ix) पैरा 34क सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था।

(x) पैरा 34ख सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था।

(xi) स्कीम की अनुसूची की सारणी I का संशोधन सा० का० नि० 186(अ) तारीख 31-3-73, सा० का० नि० 174 तारीख 20-1-1977 द्वारा किया गया था।

(xii) स्कीम की अनुसूची की सारणी 2 का संशोधन सा० का० नि० 182 तारीख 7-2-1976 द्वारा किया गया था।

[फाइल सं० एस-35011/10/81-एफ० पी० जी०]
पी० सिन्हा, उप सचिव

अधिसूचना का स्पष्टीकारक ज्ञापन

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन विद्यमान फायदों को उदार बनाने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन रहा है और इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन बीमा नियंत्रण द्वारा संचालित किया गया था।

बीमा नियंत्रक ने बीमांकिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है और बीमा नियंत्रक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने स्कीम में 1 जनवरी, 1983 से निम्नलिखित परिवर्तन करने का विनिश्चय किया है।

(1) पैरा 28 के उपपैरा (1) की सारणी में वर्णित कुटुम्ब पेंशन की दरों का पुनरीक्षण करना।

(2) कुटुम्ब पेंशन और जीवन बीमा फायदों के मामले में प्रवेश की आयु की बात से अभिमुक्ति प्रदान करना।

(3) रुपए निकालने और सेवानिवृत्ति के फायदे, कुटुम्ब पेंशन निधि में किए गए अभिदाय के वर्षों की संख्या पर निर्भर करेंगे और उसके अनुसार होंगे जैसा नई सारणी में दिया गया है।

इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1983

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6A, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Family Pension Scheme, 1971, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Family, Pension (Amendment) Scheme, 1983.

(2) It shall come into force on the first day of January, 1983

2. In the Employees, Family Pension Scheme, 1971 (hereinafter referred to as the Scheme), in paragraph 6,—

(i) in the second proviso, the words "in the manner specified in sub-paragraph (2) of paragraph 34A." shall be omitted;

(ii) after the existing provisos, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation : Under this paragraph the age of 60 shall be determined with reference to the date of birth where, however the exact date of birth is not given by the member, the age shall be determined in the following manner :

(1) where the year of birth is given but not the exact date, 1st July shall be treated as the date of birth;

(2) where the year and month of birth are given the 16th of the month shall be treated as the date of birth; and

(3) where only the age is indicated the member shall be assumed to have completed that age on the date of the medical certificate accompanying Form 2 and where no medical certificate is attached to Form 2 on the date of filling Form 2."

3. In paragraph 28 of the Scheme,—

(i) in sub-paragraph (i)—

(a) the words and figures "at the age of 25 years or less' shall be omitted;

(b) for the existing Table the following Table shall be substituted, namely :

"TABLE

Pay of the member per month on which contribution to the Family Pension Fund is payable.	Monthly rate of Family Pension
1. Below Rs. 400/-	30% of pay subject to a minimum of Rs. 60/- and a maximum of Rs. 120/-.
2. Rs. 400/- and above	20% of pay subject to a minimum of Rs. 120/- and a maximum of Rs. 320/ .";

(c) After Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation (3):—In the case of a piece-rated or a daily rated employee, who was a member of the Family Pension Fund, the rate of full pay last drawn by him during the period for which the contribution to the Family Pension Fund was recovered, shall be determined by taking into account his average earnings in the twelve months preceding that in which he died.";

(ii) in sub-paragraph (2),—

(a) in clause (a) for the figures and words "50 per cent of pay last drawn in full", the figures and words "50 per cent of pay as determined for the purpose of sub- paragraph (1)" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, at the end, namely:—

"Provided that the Family Pension shall not be in any case fe less than Rs. 60/- per month.";

(iii) sub-paragraph (3) shall be omitted;

4. For paragraph 30 of the Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"30. Commencement of payment of Family Pension:—Family Pension shall become payable from the day immediately following that on which a member of the Family Pension Fund dies."

5. In paragraph 31 of the Scheme,—

(i) in the opening paragraph, the words "Subject to the provisions of paragraph 34 of the Scheme", shall be omitted;

(ii) the provisos shall be omitted.

6. For paragraph 32 of the Scheme the following paragraph shall be substituted, namely :—

"32. Retirement-cum-Withdrawal Benefits :

(1) On attaining the age of 60 years or on cessation of membership from the Family Pension Fund before attaining the age of 60 years for reasons other than death, the following benefit shall accrue to the member of the Family Pension Fund at the rates specified in the Table below subject to the condition that he has contributed to the Family Pension Fund for a period of not less than one year :—

TABLE

Number of full years contribution paid	Amount payable on attainment of age 60 or earlier withdrawal
(1)	(2)
1	110
2	150
3	195
4	245
5	300
6	355
7	415
8	480
9	550
10	625
11	710
12	795
13	890
14	990
15	1095
16	1215
17	1340
18	1475
19	1615
20	1775
21	1940
22	2120
23	2310
24	2520
25	2740
26	2980
27	3240
28	3515
29	3815
30	4135
31	4480
32	4850
33	5245
34	5675
35	6135
36	6630
37	7160
38	7730
39	8345
40	9000

Explanation I : For determining the number of full years of contributions paid, the period of reckonable service on different spells, if any, under paragraph 6 of the Scheme shall be included.

Explanation II : In arriving at the total period, fractions of a year below six months shall be ignored and 6 months and above shall be reckoned as full year.

(2) In the event of cessation of membership from the Family Pension Fund before the completion of one year reckonable service the contribution of the member of the Family Pension Fund credited to the Family Pension Fund, together with interest thereon @7-1/2 percent per annum shall be refunded to him.

(3) Where a member of the Family Pension Fund to whom any amount has become payable under sub-paragraph (1) or (2) as the case may be, dies before the amount has been actually paid to him, the amount shall be payable to a member of his family who would have been entitled to receive Family Pension under Paragraph 29 and where the member has not left a family the amount shall be payable to the person or persons entitled to receive his Provident Fund accumulations, in the proportion in which the said accumulations may be payable under the provisions of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 or the Provident Fund rules applicable to the exempted establishments, as the case may be.".

7. Paragraph 33, 34 and 34A of the Scheme shall be omitted.

8. In paragraph 34B of the Scheme for the words and Figures "the retirement benefit and the withdrawal benefit payable under paragraph 32 and 33 respectively", the words and figures "except in cases of cessation of membership on attaining the age 60 years or where the period of break between two spells of reckonable service is in excess of one year, the retirement-cum-withdrawal benefit under paragraph 32", shall be substituted.

9. The Schedule appended to the Scheme shall be omitted.

NOTE: (i) Principal Scheme published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3(i) dated the 4th March, 1971 at Page 251;

(ii) Provisions under paragraph 6 of the Scheme were added—vide GSR 186 (E) dated 31-3-1973.

(iii) Proviso under sub-paragraph (3) of paragraph 9 of the Scheme was added—vide GSR 298 dated 24th March, 1973.

(iv) Paragraph 28 of the Scheme was amended vide GSR 1188 dated 30-9-72, GSR 298 dated 24th March, 1973, GSR 186 (E) dated 31st March, 1973, and GSR 129 dated 31-1-1981 and GSR 360(E) dated 28-4-1982.

(v) Paragraph 31 of the Scheme was amended vide GSR 1156 dated 7-8-1971, GSR 186(E) dated 31-3-1973, GSR 129 dated 31-1-1981 and GSR 360(E) dated 28-4-1982.

(vi) Paragraph 32 of the Scheme was amended vide GSR 186 (E) dated 31-3-1973 and GSR 360(E) dated 28-4-1982.

(vii) Paragraph 33 of the Scheme was amended vide GSR 1299 dated 7-10-1972, GSR 186(E) dated 31-3-1973, GSR 201 dated 7-1-1978 and GSR 360 (E) dated 28-4-1982

(viii) Paragraph 34 of the Scheme was amended vide GSR 186 (E) dated 31-3-1973, GSR 201 dated 7-1-1978, GSR 129 dated 31-1-1981 and GSR 360(E) dated 28-4-1982.

(ix) Paragraph 34A of the Scheme was inserted vide GSR 186(E) dated 31-3-1973.

(x) Paragraph 34B was inserted vide GSR 186(E) dated 31-3-1973.

(xi) Table I of the Schedule to the Scheme was amended vide GSR 186(E) dated 31-3-1973, GSR 174 dated 20-1-1977.

(xii) Table II of the Schedule to the Scheme was amended vide GSR 182 dated 7-2-1976.

[File No. S.35011(10)/81-FPG]
P. SINHA, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum to the Notification

The Question of liberalisation of the existing benefits under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 was under consideration of the Central Government and for this purpose, an actuarial valuation of the Family Pension Fund was conducted by Controller of Insurance.

Controller of Insurance has since completed the actuarial valuation and on the recommendations of the Controller of Insurance, the Central Government has decided to make the following changes in the Scheme from the 1st January, 1983 :-

1. To revise the rates of family pension mentioned in Table given in sub-paragraph (1) of paragraph 28.
2. To dispense with the entry age factor in the case of the family pension and the life assurance benefit.
3. The withdrawal and retirement benefit would depend on the number of years for which contributions are paid to Family Pension Fund and would be as given in the New Table.

It is confirmed that nobody's interest will be adversely affected.

1346 GI/82—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983